न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 07/2026 G.C.M.S. No. 2026/89 दर्ज दिनांक : 30.01.2026

अपीलार्थिगणः

1. कांतिलाल पुत्र रामाराम, जाति मेघवाल निवासी जीवाणा, तहसील सायला, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. गोपाल सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति राजपूत निवासी कोली चौपवतान, तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर
2. मंगलाराम पुत्र वगताराम, जाति पुरोहित, निवासी दासपां, तहसील भीनमाल, जिला जालोर
3. जेठा पुत्र खुमा, जाति सुथार, निवासी जीवाणा, तहसील सायला, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2023 बअनवान गोपाल सिंह बनाम जेठा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.2026

पैरोकारः–

1. श्री उत्तम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 24.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2023 बअनवान गोपाल सिंह बनाम जेठा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.2026 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आटीएक्ट में पेश किया, जिसमें बिना कानूनी व विधिक प्रक्रिया अपनाये व अपीलांट एवं सहखातेदारो को बिना सूचना दिये, उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आनन फानन में दिनांक 08.05.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। उक्त डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की थी, जो अपील दिनांक 20.08.2025 को स्वीकार कर अपीलांट को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर नियमानुसार पीडी पारित करने के आदेश के साथ रिमांड की गई थी, लेकिन बिना अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए सीधे ही संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2026 जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के वाद पत्र को एज ए ट्रीट करते हुए पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय देने में कानूनी व वाक्याती

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नहीं कर संशोधित अनवान पेश करने के बाद सीधे ही बिना साक्ष्य व जवाब का अवसर दिए रेस्पोडेन्ट के वाद पत्र को एज ए ट्रीट मानते हुए संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी कर यह लिखा है कि वादपत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार बंटवाडा मौके पर करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावे एवं बंटवाडा प्रस्ताव भेजा जावे, जबकि प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने पश्चात मौके की कब्जाकाश्त की स्थिति व खातेदारो के आपसी आने जाने हेतु रास्ता वगैरा की सुविधा को देखते हुए ही बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब व साक्ष्य का अवसर दिए बिना ही रेस्पोडेन्ट के वादपत्र को एज ए ट्रीट मानते हुए उसी अनुरूप संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की है। बंटवाडे के दावे में नियमानुसार समस्त सामलाती खातेदारो को सुना जाकर साक्ष्य व जवाब का अवसर दिया जाकर ही किसी प्रकार निर्णय व आदेश दिया जाना न्यायोचित होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सभी खातेदारो को बिना सुने सीधे ही जो जैर अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व संशोधित प्रारम्भिक डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2026 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.05.2025 को प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट कान्तिलाल द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 100/2025 बउनवान कांतिलाल बनाम गोपाल सिंह वगै. प्रस्तुत की गयी। जिसमे पारित निर्णय दिनांक 20.08.2025 द्वारा अपील मंजूर कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.05.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानो व प्रक्रियाओ का अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण विधिनरूप पुनः निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसकी पालना में प्रकरण में अपीलांट सहित प्रतिवादीगण को जवाबदावा का अवसर दिए बिना तथा विवाद्यक आदि विरचित किए बिना किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना दिनांक 02.01.2026 को अपीलाधीन संसोधित प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। जबकि वादपत्रो के निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में विशेष रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश 08 से 20 में प्रावधित प्रक्रियात्मक प्रावधानो का अनुपालन किया जाना आज्ञापक है तथा विद्वान विचारण न्यायालय को इस संबध में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2025 में प्रदत निर्देशो जो कि उक्त प्रक्रियागत प्रावधानों के अनुपालन से संबधित है, का अनुपालन किया जाना आज्ञापक था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2025 द्वारा प्रदत निर्देशो एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में यथाप्रावधित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो विधिसम्मत नहीं है।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2023 बअनवान गोपाल सिंह बनाम जेठा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.2026 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 15.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली